UPSH010005442026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–279/2026

C.N.R. No.-UPSH010005442026

साहिब उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र स्व0 असलम
निवासी–मो0 दिलाजाक, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहॉपुर।

————आवदेक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

————विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–703/2025
धारा–87,3(5) बी0एन0एस0 व 3, 5 (1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांकः 17–03–2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त साहिब की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–703/2025, धारा–87,3(5) बी0एन0एस0 व 3, 5 (1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, थाना–सदर बाजार, जिला–शाहजहाँपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सूरज सिंह की ओर से दिनांक 08–12–2025 को थाना सदर बाजार पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 07–12–2025 को सूचना प्राप्त हुई कि शहबाजनगर रोड स्थित जनता मैरिज लान में एक नाबालिक हिन्दू लड़की व उसकी मां पर दबाव डालकर व प्रलोभन देकर लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर एक मुस्लिम लड़के से निकाह कराया जा रहा है। इस सूचना पर वादी मय हमराही चीता 10 कर्मचारी कां0 2175 शिवदत्त तथा पूर्व से रवाना शुदा म0आ0 1652 पूजा यादव, म0आ0 1394 रुपिन के साथ रवाना होकर मौके पर जनता मैरिज लान पहुंचा तो वहॉ पर काफी भीड़भाड़ थी तथा मौके पर मौजूद हिन्दू वादी संगठन के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त था। मौके से वादी द्वारा जरिये दूरभाष उच्च अधिकारीगण को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। दुल्हन के भेष में बैठी लड़की से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आरजू सक्सेना पिता का नाम स्व0 शेर बहादुर सक्सेना माता का नाम गुन्जन नि मो0 लोधीपुर निकट पार्क इन होटल थाना रौजा जनपद शाहजहॉपुर बताया तथा अपनी उम्र करीब 17 वर्ष बताया तथा दूल्हे के भेष में बैठे लड़के से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शाहिब पुत्र स्व0 असलम माता का नाम गुड़िया उर्फ नरगिस, नि0 मोहल्ला दिलाजाक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 21 वर्ष बताया, पूछने पर जानकारी हुई कि आज मैं आरजू सक्सेना का धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह कर रहा था कि आप लोग मौके पर आ गये। मेरे इस कार्य में मेरी मां गुड़िया उर्फ नरगिस तथा कासिम व अन्य लोग सहयोग कर रहे है। चूंकि आरजू व उसकी मां गुंजन सक्सेना द्वारा बताया गया कि उसकी शादी दबाव डालकर व प्रलोभन देकर लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम लड़के शाहिब द्वारा अपनी मॉ गुड़िया उर्फ नरगिस के सहयोग से की जा रही है इसलिए अभियुक्त शाहिब व अभियुक्ता गुड़िया उर्फ नरगिस को जुर्म धारा 87/3(5)

Digitally signed by ASHISH VARMA
Date: 2026.03.18 10:52:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बीएनएस तथा 3/5 (1) 30प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 से अवगत कराते हुए समय 21.35 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया कि वह पूर्णतया निर्दोष है एवं मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जन मानस, समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अंकित करायी गयी है, जिसका कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया। उसने किसी नाबालिग नवयुवती को धर्म परिवर्तन करने के लिए न कोई प्रलोभन दिया और न ही उसका व्यपहरण किया और मुकदमा उपरोक्त की अपहृता आरजू सक्सेना ने अपनी मर्जी से बिना किसी जोर दबाव व अपनी मॉ की मर्जी से अपना निकाह उसके साथ करने के लिए राजी हुई थी। मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता आरजू सक्सेना की मॉ ने करीब एक माह पहले जनता मैरिज लॉन शाहवाजनगर रोड, शाहजहॉपुर बुक कराया, जिसमें निकाह के समय उसके तमाम रिश्तेदार व आरजू सक्सेना की मॉ गुंजन सक्सेना एवं उनके तमाम रिश्तेदार व अन्य मिलने वाले लोगों के बीच निकाह हो रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग मौजूद थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर व्यक्ति को अन्तःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। उसके विरूद्ध जानबूझकर साजिश के तहत राजनैतिक दबाव के चलते उपनिरीक्षक को वादी मुकदमा बनाकर मनगढ़ंत व झूठे तथ्यों के आधार पर फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक द्वारा नहीं बताया गया है, जिससे घटना पर संदेह उत्पन्न होता है। उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 4 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई पीड़ित व्यक्ति/महिला अथवा उसके परिवारीजन, मॉ, बहन, पिता, भाई जिनसे पीड़ित व्यक्ति/महिला का खून से सम्बन्ध हो, को अधिकार है, न कि अन्य किसी राजकीय कर्मचारी/नागरिक को है। उसने मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता का दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं कराया है, जिससे उस पर उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 लागू नहीं होती है। घटनास्थल पर धर्म परिवर्तन कराने वाला कोई भी ईमाम/काजी मौके पर उपस्थित था तो उसका जिक्र वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट में करता, लेकिन वादी मुकदमा ने राजनैतिक दबाव के चलते उसको झूठे मुकदमें में नामित कर दिया है, जिससे पुलिस द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर संदेह उत्पन्न होता है। वादी मुकदमा पुलिस अधिकारी है तथा उसने अपनी तहरीर में अंकित कराया है कि दूल्हे के भेष में बैठे लड़के से नाम पता पूछने पर उसने अपना साहिब पुत्र स्व० असलम माता का नाम गुड़िया उर्फ नरगिस निवासी मो० दिलाजाक, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहॉपुर उम्र करीब 21 वर्ष बताया। पूछने पर जानकारी हुई कि आज वह आरजू सक्सेना का धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह कर रहा था कि आप लोग मौके पर आ गये। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 में कहा गया है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गयी कोई भी स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी। जबकि इस

कथन का कोई स्वतंत्र अन्य साक्षी नहीं है। उसके उक्त बयान जो अंकित कराये गये हैं, वह बयान पुलिस व अन्य धार्मिक संगठनों के दबाव में कराये गये हैं। पीड़िता व पीड़िता की मां गुंजन सक्सेना पर पुलिस व हिंदूवादी संगठन के लोगों द्वारा दबाव बनाकर बयान अंकित कराये गये हैं। वादी मुकदमा द्वारा जो पीड़िता आरजू सक्सेना की उम्र करीब 17 वर्ष बताई गयी है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त करेन्ट केस 2021 पेज नं0 411 पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन आगरा के केस में न्यायमूर्ति काटजू न्यायमूर्ति ओ० पी० शर्मा ने यह कहा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 में 17 वर्ष की महिला को कहीं जाने एवं किसी के साथ रहने का अधिकार है। एक व्यक्ति व एक महिला यदि वह चाहे तो बिना विवाह के एक साथ रह सकते हैं। यह अनैतिक संविधान नहीं है एवं उच्च न्यायालय द्वारा 2003 पेज नं0 579 दाण्डिक निर्णय संग्रह शान्ति बनाम राज्य में माननीय न्यायाधीश यू०एस० त्रिपाठी वी०पी० गुप्ता द्वारा यह कहा गया है कि 17 वर्ष की महिला को भी नारी निकेतन में निरूद्ध का आदेश न्यायोचित नहीं है। हिंदू विवाह अधि० 1955 की धारा 5, अध्याय 2 पेज नं0 27 में इलाहाबाद एल०जे० ने निर्देशित किया है कि 15 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की उम्र की लड़की का विवाह/निकाह न तो शून्य होगा और न ही अवैधानिक होगा। जबकि लड़की ने अपना विवाह/निकाह अपनी मर्जी, बिना किसी जोर दबाव के अपने संरक्षक की सहमति से किया हो। उसका न तो आपराधिक इतिहास है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। वह दिनांक 07–12–2025 से जेल में है। सहअभियुक्ता गुड़िया उर्फ नरगिस उर्फ नगरिस की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12–01–2026 को जमानत प्रार्थना पत्र सं0 3346/2025 पर स्वीकृत की जा चुकी है। शपथपत्र में अंकित है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही निरस्त हुआ है। उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर नाबालिग पीड़िता आयु 17 वर्ष को बहला फुसलाकर उसकी मॉ की विधिक संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग करने के उद्देश्य से शादी का दबाव डालकर व प्रलोभन देकर पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराकर स्वयं जो कि मुस्लिम था, से निकाह किया जा रहा था। पीड़िता ने बयान धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में घटना का समर्थन किया गया है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवयस्क पीड़िता को बहला फुसला कर उसकी मॉ की विधिक संरक्षकता से अयुक्त सम्भोग करने के उद्देश्य से शादी का दबाव डालकर विवश करने व प्रलोभन देकर पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम अभियुक्त से निकाह कराये जाने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य अभियुक्त के रूप में नामित है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कहा गया कि ''साहिब ने बोला था कि मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी फोटो सबको दिखाऊंगा। तुम्हें बदनाम कर दूंगा। साहिब धर्म बदलकर जबरदस्ती मुझसे शादी

कर रहा था। मैं और मेरी मॉ मजबूर थी।'' केस डायरी के साथ संलग्न प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य, आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कॉलेज, शाहजहॉपुर में पीड़िता की जन्मतिथि 04–04–2009 अंकित है, जिसके अनुसार प्रस्तुत घटना के समय वह 16 वर्ष, 08 माह, 03 दिन की अवयस्क बालिका थी। आवेदक/अभियुक्त पर अपराध गम्भीर प्रकृति के अपराध का है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर जाये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त साहिब की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–279/2026, अन्तर्गत धारा–87,3(5) बी0एन0एस0 व 3, 5 (1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 17–03–2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, शाहजहॉपुर।
जी0ओ0 कोड–UP6315